



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 भाद्र 1948 (श0)

(सं0 पटना 1054) पटना, बृहस्पतिवार, 27 अगस्त 2026

सं0 06/पणन (स0)-43/2025-4734

सहकारिता विभाग

संकल्प

20 अगस्त 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में 48200 (अड़तालीस हजार दो सौ) मे0टन भण्डारण क्षमता के सृजन हेतु 200 (दो सौ) मे0टन, 500 (पाँच सौ) मे0टन एवं 1000 (एक हजार) मे0टन प्रति इकाई क्षमता के गोदाम निर्माण के लिए समितियों को 50 (पचास) प्रतिशत अनुदान तथा 50 (पचास) प्रतिशत चक्रीय पूँजी के रूप में कुल रू0 34,95,27,730/- (चौँतीस करोड़ पंचानवे लाख सत्ताईस हजार सात सौ तीस) मात्र के योजना की स्वीकृति।

राज्य में विभिन्न व्यवसायिक क्षेत्रों में पैक्सों एवं व्यापारमंडलों की बढ़ती भूमिका यथा धान/गेहूँ अधिप्राप्ति, जन वितरण संबंधी कार्य एवं कृषि में प्रयोग होने वाले खाद्यान्नों की आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा पैक्स/व्यापारमंडल सहकारी समितियों की आधारभूत संरचनाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कृषि रोडमैप अन्तर्गत वर्ष 2023-28 में भूमि की उपलब्धता के आधार पर 200 (दो सौ), 500 (पाँच सौ) या 1000 (एक हजार) मे0टन क्षमता के गोदाम की स्थापना का निर्णय लिया गया है। कृषि रोड मैप 2023-28 के लिए अनुमानित लक्ष्य के मद्देनजर पैक्सों/व्यापारमंडलों में भंडारण क्षमता में 10 (दस) लाख मे0टन अभिवृद्धि किया जाना है, जिसके विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2023-24 से वर्ष 2025-26 तक कुल 7.827 लाख मे0 टन के गोदाम निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है।

2. वित्तीय वर्ष 2026-27 में पैक्सों/व्यापारमंडलों में 48200 मे.टन भंडारण क्षमता सृजन करने हेतु 200 मे0टन, 500 मे0टन एवं 1000 मे0टन क्षमता के कुल 52 गोदाम का निर्माण किया जाना है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्षमता (मे0टन)	ईकाई	कुल सृजित क्षमता (मे0टन)	दर	कुल प्राक्कलित राशि (रु0 में)
200	01	200	17,12,800 / -	17,12,800 / -
500	06	3000	34,59,500 / -	2,07,57,000 / -
1000	45	45000	72,67,954 / - (सड़क निर्माण मद की राशि रु0 18,53,346 / - को छोड़कर)	32,70,57,930 / -
कुल	52	48200	-	34,95,27,730 / -

3. वित्तीय वर्ष 2026-27 में गोदाम निर्माण हेतु आवश्यक निधि रु0 34,95,27,730 / - (चौतीस करोड़ पंचानवे लाख सत्ताईस हजार सात सौ तीस) मात्र राज्य योजनान्तर्गत प्राप्त राशि से पैक्सों/व्यापारमंडलों को सहकारी बैंक के माध्यम से 50 (पचास) प्रतिशत अनुदान तथा 50 (पचास) प्रतिशत चक्रीय पूँजी के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा।
4. राज्य योजना मद से पैक्सों/व्यापारमंडलों को गोदाम निर्माण हेतु उपलब्ध करायी गयी चक्रीय पूँजी की वापसी, योजना वर्ष के अगले वर्ष से 20 (बीस) अर्द्धवार्षिक समान किस्तों में 10 (दस) वर्ष में की जा सकेगी। उक्त राशि की वापसी से बिहार राज्य सहकारी बैंक में एक **Revolving Fund** (चक्रीय कोष) का सृजन कर संधारण किया जायेगा, जिसका उपयोग पैक्सों एवं व्यापारमंडलों के आधारभूत संरचनाओं के रख-रखाव/मरम्मत हेतु अलग से योजना तैयार कर इसी प्रकार की चक्रीय पूँजी समितियों को उपलब्ध कराने हेतु किया जा सकेगा।

पैक्सों एवं व्यापारमंडलों को गोदाम निर्माण हेतु उपलब्ध करायी गयी चक्रीय पूँजी का अभिलेख संबंधित जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा जिला सहकारिता पदाधिकारी के कार्यालय में संधारित होगा, जिसमें दी गई चक्रीय पूँजी का ब्यौरा, किस्त वापसी की राशि एवं तिथि के साथ-साथ समितियों द्वारा राशि वापसी का भी ब्यौरा होगा। बैंक के स्तर से राशि वापसी का पूरा ब्यौरा अंकित करते हुए वापसी तिथि के एक माह पूर्व मांग पत्र समितियों को प्राप्त कराया जायेगा। राशि वापसी में चूक की स्थिति में लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत कार्रवाई की जायेगी।

5. पैक्सों एवं व्यापारमंडलों का चयन विभाग द्वारा गठित चयन समिति द्वारा किया गया है। प्रस्तावित योजना अन्तर्गत चयनित पैक्स/व्यापारमंडलों द्वारा गोदाम निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध करा दी गयी है। पैक्स/व्यापारमंडल में कराये जाने वाले निर्माण कार्य का कार्यान्वयन पैक्स/व्यापारमंडलों द्वारा स्वयं किया जायेगा। इसका क्रियान्वयन/तकनीकी पर्यवेक्षण जिला पदाधिकारी के द्वारा प्राधिकृत अभियंता के द्वारा किया जायेगा। परियोजना का मॉडल नक्शा तथा प्राक्कलन बिहार राज्य भंडार निगम से तैयार कराते हुए भवन निर्माण विभाग से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की गई है, जो लाभान्वित समितियों तथा संबंधित जिलों के पदाधिकारियों को उपलब्ध कराया जायेगा परन्तु स्थानीय मानकों के आलोक में संबंधित जिला पदाधिकारी के द्वारा अधिकृत अभियंता के स्तर पर प्रति इकाई लागत की अधिसीमा अन्तर्गत **Structural Design** (संरचनात्मक डिजाइन) तथा प्राक्कलन जिला पदाधिकारी के अनुमोदन से संशोधन किया जा सकेगा। उपरोक्त योजनाओं के तहत होने वाले निर्माण कार्यों में क्रियान्वयन/तकनीकी पर्यवेक्षण जिला पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत असैनिक अभियंता द्वारा किया जायेगा। जिला स्तर पर निर्माण कार्यों का अनुश्रवण जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति, जिसमें जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक सदस्य होंगे, के द्वारा किया जायेगा। गुणवत्ता के अनुरूप कार्य कराने का दायित्व इस समिति पर होगा। मुख्यालय स्तर पर प्रगति का अनुश्रवण निबंधक, सहयोग समितियाँ द्वारा किया जायेगा।

6. उपर्युक्त राशि वित्तीय वर्ष 2026-27 में मांग संख्या-09 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-2425 सहकारिता, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-108 अन्य सहकारी समितियों को सहायता, उपशीर्ष-0114 गोदाम निर्माण हेतु सहकारी समितियों को अनुदान, विस्तृत शीर्ष-31 सहायता अनुदान, विषय शीर्ष-05 सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण, विपत्र कोड-09-2425001080114 एवं मांग संख्या-09 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-2425 सहकारिता, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-0102 गोदाम निर्माण हेतु सहकारी समितियों को अनुदान, विस्तृत शीर्ष-31 सहायता अनुदान, विषय शीर्ष-05 सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण, विपत्र कोड-09-2425007890102 से विकलनीय होगा।
7. इस योजना के संबंध में विभागीय स्वीकृति पत्र एवं योजना हेतु निर्गत विभागीय दिशा-निर्देश लागू होगा। यह संकल्प तत्काल प्रभाव से राज्य में प्रभावी समझा जायेगा।
8. राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-19.08.2026 में मद सं०-11 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गयी है।
आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
अभय कुमार सिंह,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1054-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>